

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यव की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 अप्रैल 2010—चैत्र 12, शक 1932

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरास्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2010

क्र. ई-5-501-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. आर. नायडू, आयएएस, आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 29 मार्च से 30 अप्रैल 2010 तक, तीनिस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 28 मार्च 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री बी. आर. नायडू की अवकाश की अवधि में श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, आयएएस, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य-पुस्तक निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी

रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का कार्यभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. नायडू को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री बी. आर. नायडू द्वारा आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, आयुक्त, लोक शिक्षण तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री बी. आर. नायडू को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. आर. नायडू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2010

क्र. ई-1-79-2010-5-एक.—श्री भोड़वे संकेट शांताराम, भाप्रसे (2007), सहायक कलेक्टर, झानुआ को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खुरई, जिला सागर पदस्थ किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2010

क्र. ई-5-860-अयएएस-लौब-5-एक.—(1) सुश्री मधुरानी तेवतिया, आयएएस, सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर को दिनांक 7 से 26 दिसम्बर 2009 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 6 दिसम्बर 2009 एवं दिनांक 27, 28 दिसम्बर 2009 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री मधुरानी तेवतिया को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री मधुरानी तेवतिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री मधुरानी तेवतिया अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
द्वी.एस. सावनेर, अवर सचिव

### तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2010

क्र. एफ-1-29-2007-बयालीस(1).—राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शासकीय/स्वशासी इंजीनियरिंग एवं पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में शासकीय संवर्ग में कार्यरत ग्रंथपाल/पी.टी.आई. की अधिवार्षिकी

आयु 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष की जाती है।

2. यह स्वीकृति वित्त विभाग की टीप क्रमांक 889-07-ब-3-चार, दिनांक 15 नवम्बर 2007 पर आधारित है।

उक्त आदेश जारी होने की दिनांक से प्रभावशील माना जायेगा।

क्र. एफ-1-29-2007-बयालीस(1).—राज्य शासन द्वारा शासकीय/स्वशासी इंजीनियरिंग एवं पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में शासकीय संवर्ग में कार्यरत ग्रंथपाल/पी.टी.आई. को राजपत्रित घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जी. एस. खैरवार, उपसचिव।

### खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2010

क्र. आर-1913-2008-बारह-1.—मेसर्स रियो टिन्डो एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा.लि. द्वारा जिला शिवपुरी, सागर एवं गुना में हीरा एवं बहुमूल्य खनिज, सोना, तांबा, लैड, जिंक, सिल्वर, बिस्मिथ एवं केडमियम खनिजों के अवैक्षी अनुज्ञापत्र अंतर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 1520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से 760 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 7(1)(i)(क) अनुसार परित्याग किया गया है। इस क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59(1)(क) को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, खुला घोषित करती है। क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :—

बिन्दु	अक्षांश	देशांश
(1)	(2)	(3)
खण्ड 1		
1	25° 13' 32"	77° 46' 00"
2	25° 13' 35"	77° 53' 37"
3	24° 59' 43"	78° 00' 09"
4	24° 58' 58"	77° 56' 53"
5	24° 57' 42"	77° 54' 03"
6	24° 55' 22"	77° 52' 48"

खण्ड 2		
7	24° 32' 08"	78° 05' 12"
8	24° 34' 31"	78° 11' 53"
9	24° 30' 33"	78° 13' 45"
10	24° 19' 24"	78° 20' 47"
11	24° 17' 26"	78° 16' 39"

9 से 10 राज्य सीमा

इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् 90 दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा। उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, “खनिज भवन”, 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. तोमर, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2010

क्र. आर-1913-2008-बारह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 8 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. तोमर, उपसचिव।

Bhopal, the 8th March 2010

No R1913-2008-XII-1.—In exercise of rule 59(1)(a) of the Mineral Concession Rule, 1960, the State Government hereby declare throw open an Area of 760 km<sup>2</sup>, out of 1520 km<sup>2</sup>, in Shivpuri, Sagar & Guna districts which was previously held by M/s Rio Tinto Exploration India Private Limited, for the reconnaissance operations of Diamond & precious minerals, Gold, Copper, Lead, Zinc, Silver, Bismuth & Cadmium minerals, under reconnaissance permit, which has now been relinquished as per 7(1)(i)(a) of the said rules. Details of the area are as below:—

POINTS	LATITUDE	LONGITUDE
(1)	(2)	(3)
Block 1		
1	25° 13' 32"	77° 46' 00"
2	25° 13' 35"	77° 53' 37"
3	24° 59' 43"	78° 00' 09"
4	24° 58' 58"	77° 56' 53"
5	24° 57' 42"	77° 54' 03"
6	24° 55' 22"	77° 52' 48"
Block 2		
7	24° 32' 08"	78° 05' 12"
8	24° 34' 31"	78° 11' 53"
9	24° 30' 33"	78° 13' 45"
10	24° 19' 24"	78° 20' 47"
11	24° 17' 26"	78° 16' 39"
9 to 10 State Boundary		

The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the “Madhya Pradesh Gazette”, till 90 days. The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining, Khanij Bhavan, 29-A, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh on any working day after publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
A. K. TOMAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2010

क्र. 253-07-बारह-1.—मेसर्स वर्गीश मेटल्स प्रा.लि. द्वारा जिला शिवपुरी में तांबा खनिज के अवीक्षी अनुज्ञापत्र अंतर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 701 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से 631.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 7(1)(i)(क) अनुसार परित्याग किया गया है। इस क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम, 59(1)(क) को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, खुला घोषित करती है। क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :—

बिन्दु	अक्षांश	देशांश
(1)	(2)	(3)
1	25° 30' 00"	78° 00' 00"
2	25° 30' 00"	78° 15' 00"
3	25° 15' 00"	78° 15' 00"
4	25° 15' 00"	78° 12' 00"
5	24° 19' 30"	78° 12' 00"
6	24° 19' 30"	78° 07' 00"
7	25° 15' 00"	78° 07' 00"
8	25° 15' 00"	78° 00' 00"
1	25° 30' 00"	78° 00' 00"

इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् 90 दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा। उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, “खनिज भवन”, 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. तोमर, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2010

क्र. 253-07-बारह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 8 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. तोमर, उपसचिव।

Bhopal, the 8th March 2010

No 253-07-XII-1.—In exercise of rule 59(1)(a) of the Mineral Concession Rule, 1960, the State Government hereby declare throw open an Area of 631.50 km<sup>2</sup>. out of 701 km<sup>2</sup> in Shivpuri district which was previously held by M/s Vagish Metals Private Limited, for the reconnaissance operations of Copper ore under reconnaissance permit, has now been relinquished as per 7(1)(i)(a) of the said rules. Details of the area are as below:—

POINTS	LATITUDE	LONGITUDE
(1)	(2)	(3)
1	25° 30' 00"	78° 00' 00"
2	25° 30' 00"	78° 15' 00"
3	25° 15' 00"	78° 15' 00"
4	25° 15' 00"	78° 12' 00"
5	24° 19' 30"	78° 12' 00"
6	24° 19' 30"	78° 07' 00"
7	25° 15' 00"	78° 07' 00"
8	25° 15' 00"	78° 00' 00"
1	25° 30' 00"	78° 00' 00"

The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette", till 90 days. The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining, Khanij Bhavan, 29-A, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh on any working day after publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
A. K. TOMAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2010

क्र. 2-4-2010-बारह-1.—मेसर्स रियो टिन्डो एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रा. लि. द्वारा जिला गवालियर एवं शिवपुरी में हीरा एवं बहुमूल्य खनिज, सोना, तांबा, लेड, जिंक, सिल्वर, बिस्मिथ एवं केडमियम खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञापत्र अंतर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 1825 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र समर्पित किया गया है। इस क्षेत्र को खनियायत नियम, 1960 के नियम, 59(1)(क) को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, खुला घोषित करती है। क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :—

बिन्दु	अक्षांश	देशांश
(1)	(2)	(3)
1	25° 44' 37"	77° 38' 22"
2	25° 50' 39"	77° 40' 44"
3	25° 57' 57"	77° 51' 30"
4	26° 00' 08"	78° 00' 19"
5	25° 59' 46"	78° 10' 27"
6	25° 42' 58"	78° 10' 19"
7	25° 42' 47"	77° 48' 10"
8	25° 30' 09"	77° 48' 58"
9	25° 18' 46"	77° 45' 02"

इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् 90 दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा। उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, "खनिज भवन", 29-ए, ओरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. तोमर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2010

क्र. 2-4-2010-बारह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 8 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्रधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. तोमर, उपसचिव.

Bhopal, the 8th March 2010

No 2-4-2010-XII-1.—In exercise of rule 59(1)(a) of the Mineral Concession Rule, 1960, the State Government hereby declare throw open an Area of 1825 km<sup>2</sup>. in Gwalior & Shivpuri districts which was previously held by M/s Rio Tinto Exploration India Private Limited, for the reconnaissance operations of Diamond & precious minerals, Gold, Copper, Lead, Zinc, Silver Bismuth & Cadmium minerals under reconnaissance permit, which has now been surrendered. Details of the area are as below:—

POINTS	LATITUDE	LONGITUDE
(1)	(2)	(3)
1	25° 44' 37"	77° 38' 22"
2	25° 50' 39"	77° 40' 44"
3	25° 57' 57"	77° 51' 30"
4	26° 00' 08"	78° 00' 19"
5	25° 59' 46"	78° 10' 27"
6	25° 42' 58"	78° 10' 19"
7	25° 42' 47"	77° 48' 10"
8	25° 30' 09"	77° 48' 58"
9	25° 18' 46"	77° 45' 02"

The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette", till 90 days. The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining, Khanij Bhavan, 29-A, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh on any working day after publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
A. K. TOMAR, Dy. Secy.

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग**

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मार्च, 2010

**क्रमांक-डी-15-04-2010-चौदह-3.**—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 72 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, कृषि उपज मंडी समिति शामगढ़ जिला मंदसौर में निर्वाचन द्वारा मंडी समिति के गठन के लंबित रहने की कालावधि तक के लिए निम्नानुसार भारसाधक समिति का गठन करती है:—

1. श्री देवीलाल पिता भेरुलाल, निवासी भट्टूनी (नामनिर्दिष्ट)	अध्यक्ष
2. श्री गोरधनलाल पूरालाल, पूर्व निर्वाचित	व्यापारी सदस्य
3. श्री सतीश कुमार गोपाल कृष्ण खुराना, पूर्व निर्वाचित	कृषक सदस्य
4. श्रीमती कंकूबाई मोतीलाल पूर्व निर्वाचित	कृषक सदस्य
5. श्रीमती संध्यादेवी गोरधनलाल जायसवाल, पूर्व निर्वाचित	कृषक सदस्य
6. श्री करणसिंह भंवर सिंह, पूर्व निर्वाचित	कृषक सदस्य
7. श्री देवीराम उद्देराम, पूर्व निर्वाचित	कृषक सदस्य
8. श्री सोदान सिंह पिता प्रताप सिंह, निवासी असावरी (नामनिर्दिष्ट)	कृषक सदस्य
9. श्री मोहन सिंह पिता रघुनाथ सिंह, निवासी रणायरा (नामनिर्दिष्ट)	कृषक सदस्य
10. श्री नरसिंह लाल पिता खीमाजी मैहर, निवासी चंदवासा (नामनिर्दिष्ट)	कृषक सदस्य
11. श्रीमती सुशीला बाई पति श्री राधेश्याम बैरागी, निवासी चंदवासा (नामनिर्दिष्ट)	कृषक सदस्य
12. श्रीमती बसंती बाई पति श्री देवीलाल, निवासी टकरावद, (नामनिर्दिष्ट)	कृषक सदस्य
13. राज्य की विधान सभा का एक सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित किया गया हो—	सदस्य
14. सहकारी विपणन सोसायटी का एक सदस्य	सदस्य
15. कृषि विभाग का एक अधिकारी	सदस्य
16. मण्डी समिति से अनुज्ञाप्ति प्राप्त अनुज्ञाप्तिधारी तुलैयों तथा हम्मालों का एक सदस्य	सदस्य
17. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष	सदस्य
18. जिला भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष	सदस्य
19. ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक सदस्य	सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी.एस. बघेल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 मार्च, 2010

**क्रमांक-डी-15-04-2010-चौदह-3.**—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंबद्धक अधिसूचना दिनांक 22 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी.एस. बघेल, अपर सचिव.

Bhopal, the 22nd March, 2010

No. D-15-04-2010-XIV-3.—In exercise of the powers conferred under sub section (2) of Section 72 of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Act, 1972 (No. 24 of 1973), the state Government hereby constitutes the following Market Committee in charge for Krishi Upaj Mandi Samiti, Shamgarh Distict, Mandsaur till constitution of the committee through election:

1. Shri Devilal S/o Bherulal, Resident of Bhatuni (Nominated)	Chairman
2. Shri Gordhanlal Puralal, (previously elected)	Traders Representative
3. Shri Satish Kumar Gopal Krishan Khurana (previously elected)	Farmer Representative
4. Smt. Kankubai Motilal, (previously elected)	Farmer Representative
5. Smt. Sandhyadevi Gordhanlal Jaiswal, (previously elected)	Farmer Representative
6. Shri Karansingh Bhawarsingh, (previously elected)	Farmer Representative
7. Shri Deviram Udeyram, (previously elected)	Farmer Representative
8. Shri Sodan Singh S/o Pratapsingh, Resident of Asawari, (Nominated)	Farmer Representative
9. Shri Mohansingh S/o Raghunathsingh, Resident of Ranayra (Nominated)	Farmer Representative
10. Shri Narsinghlal S/o Khimaji Mehar, Resident of Chandvasha (Nominated)	Farmer Representative
11. Smt. Shushilabai W/o Shri Radheshyam Bairagi, Resident of Chandvas (Nominated)	Farmer Representative
12. Smt. Basantibai W/o Shri Davilal, Resident of Takravad (Nominated)	Farmer Representative
13. A Member of Legislative Assembly of Madhya Pradesh, who is elected from the district.	Member
14. A representative from Marketing Society	Member
15. An officer from Farmer Welfare and Agriculture Development Department	Member
16. A member from license holder weigh man of Mandi Samiti	Member
17. Chairman of District Central Co-operative Bank	Member
18. Chairman of District Land Development Bank	Member
19. A member from Village Panchayat or Janpad Panchayat or District Panchayat	Member

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
B.S. BAGHEL, Addl. Secy.

### वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी, 2010

क्रमांक-एफ-1-2-2010-नियम-चार.—प्रदेश में विभिन्न विभागों अंतर्गत ऐसे अनेक व्यक्तिगत जमा खाते संचालित हैं जिनमें राज्य शासन की संचित निधि से आहरित राशि जमा है. ये व्यक्तिगत जमा खाते विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हेतु खोले जाते हैं तथा उक्त उद्देश्य पूर्ण होने पर इन्हें बंद किया जाना चाहिये. परन्तु ऐसा देखने में आया है कि कुछ स्थानों पर उद्देश्य पूर्ण होने के उपरांत भी यह खाते बंद नहीं किये गये हैं. अतः अनुरोध है कि ऐसे समस्त व्यक्तिगत जमा खाते जिनके खोलने का उद्देश्य पूर्ण हो गया है, तत्काल प्रभाव से बंद किये जायें. इस हेतु मध्यप्रदेश कोषालय सहिता भाग-I के सहायक नियम 543 के अनुसार कार्यवाही हेतु जिला कोषालय अधिकारी को प्रस्ताव भेजे जाएं.

2. इसके अतिरिक्त ऐसे समस्त व्यक्तिगत जमा खाते जिनमें विगत 12 माह से कोई जमा/आहरण की कार्यवाही नहीं की गई है, को भी बद करने के लिये सभी कोषालय अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। यदि इन खातों को आगे जारी रखना आवश्यक है तो इनको पुनर्जीवित करने के लिये वित्त विभाग की सहमति लेनी होगी। यदि 31 मार्च 2010 तक इन्हें पुनर्जीवित करने की सहमति प्राप्त नहीं होती है तो कोषालय अधिकारी स्वयं इस संबंध में मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 543 के अनुसार कार्यवाही करेंगे।

3. ऐसे व्यक्तिगत जमा खाते जिन्हें दिनांक 31-3-2010 के बाद भी जारी रखा जाना है, को निरन्तर रखने के प्रस्ताव संलग्न प्रारूप-एक में दिनांक 15-3-2010 तक वित्त विभाग को भिजवाने का कष्ट करें। यह उल्लेखनीय है कि जिन व्यक्तिगत जमा खातों की निरन्तरता के आदेश दिनांक 25-3-2010 तक कोषालय अधिकारियों को प्राप्त नहीं होते हैं उनसे दिनांक 1-4-2010 से आहरण नहीं हो सकेगा। अतः कृपया वांछित प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में समयावधि में भेजने का कष्ट करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अश्विनी के. राय, सचिव।

### प्रारूप—एक

#### व्यक्तिगत जमा खाते की निरन्तरता बाबत जानकारी

कार्यालय का नाम.....

विभागाध्यक्ष कार्यालय का नाम .....

आहरण संवितरण अधिकारी का पदनाम.....

कोषालय का नाम .....

स. क्र.	व्यक्तिगत खाता प्रारंभ होने का दिनांक	व्यक्तिगत खाता खोलने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक	दिनांक 1-4-2009 को प्रारंभिक शेष	दिनांक 28-2-2010 को खाते का अंतशेष	व्यक्तिगत खाता निरंतर रखने का कारण	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर  
नाम एवं पदनाम सहित

## आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 मार्च, 2010

**क्रमांक-एफ-3-69-2009-बत्तीस.**—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा-23 “क” की उपधारा (2)द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-69-2009 बत्तीस, दिनांक 05-अक्टूबर 2009 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण व्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:—

### उपांतरण विवरण

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ग्राम आदमपुर छावनी	107/6/3/1 107/7/1/1 107/6/1	11.128	कृषि	सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक के अंतर्गत शैक्षणिक
			योग . .	<u>11.128</u>	

2. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना-2005 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वर्षा नावलेकर, उपसचिव,

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 मार्च, 2010.

फा. क्र.-1-6-89-इक्कीस-ब (एक).—स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का संख्यांक 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब (1), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 अप्रैल, 1998 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 7, 16, 25, तथा 38 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक

और उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)
“7.	श्रीमती ममता जैन, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंदसौर.	मंदसौर	मंदसौर
16.	श्री पवन कुमार गोधा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम, 1989 टीकमगढ़.	टीकमगढ़	टीकमगढ़
25.	श्री आर.सी. वार्णेय, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुरैना.	मुरैना	मुरैना
38.	श्री अफसर जावेद खान, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जावरा रतलाम.	रतलाम	रतलाम.”.

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

F. No. 1-6-89-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by sub section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 1-6-89-XXI-B (1) dated 3rd April, 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated 17th April 1998, namely:—

#### AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule, for serial numbers 7,16,25 and 38 and entries relating thereto, the Following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
“ 7.	Smt. Mamta Jain, Additional Sessions Judge, Mandsaur	Mandsaur	Mandsaur
16.	Shri Pawan Kumar Godha, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Tikamgarh.	Tikamgarh	Tikamgarh
25.	Shri R.C. Varsney, Additional Sessions Judge, Morena.	Morena	Morena
38.	Shri Afsar Javed Khan, Additional Sessions Judge, Jaora Ratlam.	Ratlam	Ratlam.”.

2. This amendment shall come into force from the date on the which the judge, as specified in the Notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एन. के. गुप्ता, प्रमुख सचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश

क्र. 620-भू-अर्जन-2010

सिंगरौली, दिनांक 23 मार्च 2010

#### करारनामा

एनटीपीसी लिमिटेड, स्कोप काम्पलेक्स-07, इन्स्टीट्यूशनल एरिया लोधी रोड, नई दिल्ली, द्वारा उपमहाप्रबंधक (मा.संसा.) विंध्याचल परियोजना, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला सिंगरौली

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

दिनांक 4-6-2009 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्र. एफ-12-15-08-सात-2 ए, भोपाल दिनांक 1-8-2009 के अनुसार विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की चतुर्थ इकाई 1000 मेगावाट के एश डाइक की स्थापना हेतु तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली स्थित ग्राम बलियरी की कुल किता 374, रक्का 226.804 हेक्टेयर निजी भूमि अर्जन हेतु प्रथम व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्न शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के तहत आज दिनांक 19 मार्च 2010 को अनुबंध (करारनामा) निष्पादित करते हैं :—

1. परियोजना के लिये उक्त निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि के परिगणित मूल्य की 80 प्रतिशत राशि रु. 17,76,98,880.00 बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है शेष राशि अवार्ड पारित करने के पहले शासकीय कोष में जमा करनी होगी.
2. परियोजना द्वारा नियमानुसार प्रशासकीय व्यय की राशि रु. 2,22,12,360.00 बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है शेष राशि यदि कोई बचती है तो जमा करा दी जायेगा.
3. केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप परियोजना द्वारा विद्युत वितरण का कार्य किया जाता है और उक्त व्यवस्था का अनुपालन परियोजना द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा.
4. अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कम्पनी द्वारा देय होगा.
5. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जित की जा रही है वही उपयोग कम्पनी द्वारा किया जायेगा.
6. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
7. परियोजना के निर्माण कार्य एवं अन्य कार्यों में विस्थापित परिवारों में उपलब्ध कौशल क्षेपससद्ध के आधार पर नौकरी देने में प्राथमिकता दी जायेगी अथवा एक मुश्त समझौता( One time settlement) किया जायेगा.
8. कम्पनी को दी गई भूमि से उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा (धारा 44 "ए" भू-अर्जन अधिनियम).
9. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
10. भूमि की केवल सतह का ही उपयोग किया जावेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जावेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड़ खनिज पर नियमानुसार रायलटी का भुगतान करना होगा.

11. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जायेगा।
12. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में उसी प्रजाति के वृक्ष लगाये जायेंगे। कंपनी द्वारा कार्य योजना अनुसार प्रस्तावित भूमि पर लगे हुये वृक्षों को काटने के लिये मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240/241 के प्रावधानों का पालन किया जायेगा।
13. कम्पनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जायेगी। इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने होंगे कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु प्रदूषण नहीं किया जावेगा।
14. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां, अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित एवं स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन करना होगा।
15. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी भी बंद कर दिया जाता है तो भूमि उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जायेगी और कम्पनी को इस हेतु कोई मुआवजा देय नहीं होगा। कम से कम
16. भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराए पर दिया जावेगा।
17. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई है उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किए जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर दी जायेगी।
18. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से भूमि पर निर्मित भवन परिसर आदि के निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
19. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई अन्य आवश्यक शर्तें।
20. एनटीपीसी आर एण्ड आर पालिसी 2005 के अनुसार शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार आदि अतिरिक्त सुविधायें प्रदाय की जायेंगी।
21. परियोजना के विस्थापित परिवारों की शिक्षा एवं अन्य विकास कार्यों की व्यवस्था कंपनी द्वारा, एनटीपीसी आर एण्ड आर पालिसी 2005 के अनुसार की जायेगी।
22. भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों से संबंधित शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना कंपनी के लिए बंधनकारी होगा।
23. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू-अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जावेगा।

यह अनुबंध (करारनामा) आज दिनांक 19 मार्च 2010 को एनटीपीसी लिमिटेड, स्कोप काम्पलेक्स-07, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली की तरफ से उपमहाप्रबंधक (मा.संसा.) विन्ध्याचल परियोजना एनटीपीसी लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग की तरफ से कलेक्टर सिंगरौली द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।

हस्ता./-

(सेबास्टियन जोसेफ)

उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

एनटीपीसी लिमिटेड,

विन्ध्याचल परियोजना,

जिला-सिंगरौली (म.प्र.).

हस्ता./-

(पी. नरहरि)

कलेक्टर,

जिला सिंगरौली (म. प्र.)

## राज्य शासन के आदेश

गृह (सामान्य) विभाग

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2010

### विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

क्र. एफ. 3-1-2010-दो-ए(3).—मध्यप्रदेश के सभी अधिकारी जिनकी विभागीय परीक्षा उनके विभाग द्वारा निर्धारित की गई हो, के लिए विभागीय परीक्षाएँ दिनांक 5 अप्रैल 2010 से आयुक्त, जबलपुर, रीवा, भोपाल, सागर, ग्वालियर, उज्जैन, इन्दौर, होशंगाबाद एवं शहडोल द्वारा निर्धारित स्थानों एवं लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी (उत्तराखण्ड) में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगी :—

प्र. पत्र	प्रश्नपत्र का विषय	समय
(1)	(2)	(3)

**सोमवार, दिनांक 5 अप्रैल 2010**

1. पहला प्रश्नपत्र-दांडिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) पुलिस, सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये। प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक।
2. पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया-पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित)। —"—
3. विधि तथा प्रक्रिया-उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)। —"—
4. विधि तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिकर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)। —"—
5. पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता सामान्य (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये। —"—
59. विद्युत् संबंधी विधियाँ-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये। —"—
6. दूसरा प्रश्नपत्र-दांडिक विधि तथा प्रक्रिया दांडिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना पुलिस, सामान्य प्रशासन, भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये। दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक।
7. दूसरा प्रश्नपत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये। —"—
8. समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये। —"—
60. भू-योजना तथा विद्युत् सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये। —"—

**मंगलवार, दिनांक 6 अप्रैल 2010**

9. पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-ए आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये। प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक।
10. पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-बी। —"—

(1)	(2)	(3)
11.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये-भाग-सी।	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम-उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)।	— "—
13.	प्रश्नपत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये।	— "—
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्नपत्र-पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)।	— "—
61.	विद्युत संस्थापना-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये	— "—
15.	दूसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये।	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
16.	प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों, राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान-उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)।	— "—
17.	तीसरा प्रश्नपत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये।	— "—
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये।	— "—
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)।	— "—
62.	लेखा व स्थापना-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये।	— "—

बुधवार, दिनांक 7 अप्रैल 2010

20.	तीसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया-राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना सामान्य प्रशासन, राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये।	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
21.	पुस्तालन तथा कर निर्धारण-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)।	— "—
22.	प्रश्नपत्र-प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये।	— "—
23.	पहला प्रश्नपत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये।	— "—
24.	पुलिस अधिकारियों की "व्यवहारिक परीक्षा"।	— "—
63:	स्वच गेयर तथा संरक्षण, ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये	— "—

(1)	(2)	(3)
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	— "—
27.	पुलिस अधिकारियों की “पुलिस शाखा” प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के).	— "—
28.	दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	— "—
29.	तीसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	— "—
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	— "—
31.	चौथा प्रश्नपत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा, तथा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	— "—
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	— "—
64.	विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र (इंसूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया) ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि.सु.) के लिये.	— "—

### गुरुवार, दिनांक 8 अप्रैल 2010

33.	प्रश्न प्रश्न-पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
34.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	— "—
35.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	— "—
36.	प्रश्नपत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग अधिकारियों के लिये.	— "—
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	— "—
38.	लेखा (पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांस्थिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.	— "—
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	— "—
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	— "—
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	— "—

(1)	(2)	(3)
42.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये।	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक।
43.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये।	— "—
44.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये।	— "—

शुक्रवार, दिनांक 9 अप्रैल 2010

45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये लेखा प्रश्नपत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये।	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 11.00 बजे तक।
46.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा के भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)।	— "—
47.	प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये।	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक।
48.	प्रथम प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये।	— "—
49.	प्रश्नपत्र-द्वितीय मध्यप्रदेश मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंरक्षण विभाग के अधिकारियों के लिये, (पुस्तकों सहित)।	— "—
50.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये।	— "—
65.	पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख, पंचायत एवं ग्रामीण विकास व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये।	— "—
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये।	दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक।
52.	प्रश्नपत्र लेखा भाग-2 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये।	— "—
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित)।	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक।
54.	तृतीय प्रश्नपत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये।	— "—
55.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये।	— "—

(1) (2) (3)

56. द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये। दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक।
57. प्रश्नपत्र-तृतीय अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास-जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये। (पुस्तकों सहित) — “—

सोमवार, दिनांक 12 अप्रैल 2010

58. हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये। दोपहर 10.00 बजे से 12.00 बजे तक।

- नोट:-**
- (1) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्यों, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और संभागीय आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधन नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 3-54-98-दो-ए(3), दिनांक 19 मार्च 1999 एवं एफ. 3-102-90-दो-ए(3), दिनांक 8 मई 1991 के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी। नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नपत्र भी अनिवार्य रूप से रखा गया है।
  - (2) उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी, उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी।
  - (3) सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए। परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित हैं, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन-पत्र में भरें।
  - (4) सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के) ज्ञापन क्रमांक 1-15-77-1-अ.स.- जनजाति सेवा दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है। ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी। परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्षों/कलेक्टरों को प्रस्तुत करेंगे। इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ को नहीं भेजा जावे। संबंधित विभागाध्यक्ष/कलेक्टर परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 5 मई, 2010 तक भेजेंगे। जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे।
  - (5) परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे। उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें। इसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी। कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि पंरीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है, एस.सी./एस.टी. दर्शकांक कोष्ठक में (प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दशरथ कुमार, अवर सचिव।

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**  
सीहोर, दिनांक 6 मार्च 2010

क्र. 2-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील/तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सीहोर	आष्टा	बढ़झीरी	6.80 एकड़/ 2.752 हेक्टर	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर। खजुरियाघेंघी जलाशय के निर्माण से प्रभावित भूमि डूब क्षेत्र में आने के कारण।

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रामपुराखुर्द जलाशय के निर्माण से प्रभावित भूमि डूब क्षेत्र में आने के कारण।  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अ.वि.अ./भू-अर्जन अधिकारी, आष्टा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

बुरहानपुर, दिनांक 12 मार्च 2010

क्र. क-वाचक-भू-अर्जन-2009-प्र.क्र. 02 अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला/तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बुरहानपुर/ बुरहानपुर	कोदरी	2	0.05	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग बुरहानपुर। शाहपुर फोपनार मार्ग के कि.मी. 2/6 में अमरावती नदी पर पुल के पहुँच मार्ग निर्माण हेतु।

योग . . 0.05

- (2) अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय एवं भू-अर्जन अधिकारी, बुरहानपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
करलिन खोंगवार देशमुख, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

राजगढ़, दिनांक 19 मार्च 2010

क्र. 1775-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

**अनुसूची**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	टिमरनी	2.396	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	बादरी तालाब के निर्माण हेतु
		डोब	0.515	संभाग, राजगढ़.	झूब क्षेत्र की भूमि का अर्जन।
		कुल योग .	2.911		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1777-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

**अनुसूची**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	कुमारा	2.175	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	डेंडी तालाब के दांवी तट नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन।
		कुल योग .	2.175		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1779-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	बावड़ीबेह	1.552	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	बावड़ीबेह तालाब के निर्माण हेतु ढूब क्षेत्र की भूमि का अर्जन.
		कुल योग .	<u>1.552</u>		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1781-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	चिबड़कलौ	0.654	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	दाबलीखुर्द तालाब के बांधी
		दाबलीकलौ	1.729	संभाग, राजगढ़.	तट नहर निर्माण हेतु भूमि
		दौलतपुरा	0.739		का अर्जन.
		दाबलीखुर्द	0.408		
		कुल योग .	<u>3.530</u>		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1783-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	जीरापुर	कहारखेड़ा	0.520	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	खारखेड़ा तालाब के नहर
		पदमपुरा	1.069	संभाग, राजगढ़.	निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
		उभापान	0.203		
		कुल योग . .	<u>1.792</u>		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1785-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	सूरजपुरा	0.944	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	सूरजपुरा तालाब की नहर
राजगढ़	राजगढ़	मोहनपुरा	1.290	संभाग, राजगढ़.	निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
		कुल योग . .	<u>2.234</u>		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शिवानंद दुबे, कलोकटर एवं पदेन उपसचिव,

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 22 मार्च 2010

प्र. क्र. 440-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	बुड़कीखेरा	6.000	अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) टीकमगढ़.	बगाज माता तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बगाज माता तालाब के नहर निर्माण हेतु ग्राम बुड़कीखेरा की भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 441-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	सुन्दरपुर	8.000	अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), टीकमगढ़.	बगाज माता तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बगाज माता तालाब के नहर निर्माण हेतु ग्राम सुन्दरपुर की भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 442-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	वकपुरा	102.500	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	बगाज माता तालाब योजना के डूब क्षेत्र, बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बगाज माता तालाब के डूब क्षेत्र, बांध एवं नहर निर्माण हेतु ग्राम वकपुरा की भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्र. 443-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	कछियाखेरा	58.500	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	बगाज माता तालाब योजना के डूब क्षेत्र बांध, नहर निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बगाज माता तालाब के डूब क्षेत्र बांध एवं नहर निर्माण हेतु ग्राम कछियाखेरा की भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 444-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	गुदनवारा	8.500	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	बगाज माता तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बगाज माता तालाब के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम गुदनवारा की भूमि का अर्जन। भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 445-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(4)		
(1)	(2)	(3)	30.000	(5)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	(6) बगाज माता तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.
टीकमगढ़	टीकमगढ़	राधापुर				

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बगाज माता तालाब के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम राधापुर की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्रकरण क्र. 446-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(4)		
(1)	(2)	(3)	7.500	(5)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	(6) बगाज माता तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
टीकमगढ़	टीकमगढ़	नैनवारी				

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बगाज माता तालाब के नहर निर्माण हेतु ग्राम नैनवारी की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 447-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(4)		
(1)	(2)	(3)	39.000	(5)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	(6) बगाज माता तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.
टीकमगढ़	टीकमगढ़	समरा				

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बगाज माता तालाब के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम समरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्रकरण क्र. 448-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	जतारा	रघुनाथपुरा	6.000	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा.	जरूरआ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु।

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—जरूरआ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम रघुनाथपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्र. 449-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	जतारा	जरूरा	3.600	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा.	जरूरआ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु।

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—जरूरआ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम जरूरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्र. 450-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	खरगापुर	मझगुवां	26.400	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	जरूरआ तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध के निर्माण हेतु।

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—जरूरआ तालाब के डूब क्षेत्र एवं बांध के निर्माण हेतु ग्राम मझगुवां की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्र. 451-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	खरगापुर	पिपरा	24.000	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	जरूरआ तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध के निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—जरूरी तालाब के दूब क्षेत्र एवं बांध के निर्माण हेतु ग्राम पिपरा की भूमि का अर्जन। भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्र. 452-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	खरगापुर	मड़ोरी	20.400	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	जरूरआ तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध के निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जरूरी तालाब के डूब क्षेत्र एवं बांध के निर्माण हेतु ग्राम मडोरी की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्र. 453-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	खरगापुर	सरकनपुर ऊगढ़	115.000	अनुचिभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	जरूरआ तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बांध के निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—जरूरआ तालाब के डूब क्षेत्र एवं बांध के निर्माण हेतु ग्राम सरकनपुर ऊगढ़ की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शे का विवरण अनिवार्य अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्र. 454-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	लार खास	53.200	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	लहर तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—लहर तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम लार खास की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्र. 455-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	बढ़माड़ई ऊगढ़	27.000	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	लहर तालाब योजना के डूब क्षेत्र, बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—लहर तालाब योजना के डूब क्षेत्र, बांध एवं नहर निर्माण हेतु ग्राम बढ़माड़ई ऊगढ़ की भूमि का अर्जन।

भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्र. 456-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	नगारा	10.100	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	लहर तालाब योजना के डूब क्षेत्र, बांध एवं स्पिल हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—लहर तालाब योजना के डूब क्षेत्र, बांध, स्पिल हेतु ग्राम नगारा की भूमि का अर्जन। भूमि के नक्शे का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्र. 457-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) टीकमगढ़	(2) टीकमगढ़	(3) रामनगर	(4) 6.500	(5) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) टीकमगढ़.	(6) लहर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—लहर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम रामनगर की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्र. 458-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) टीकमगढ़	(2) टीकमगढ़	(3) बढ़माड़ई खास	(4) 2.600	(5) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) टीकमगढ़.	(6) लहर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—लहर तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु ग्राम बढ़माड़ई खास की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्र. 459-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) टीकमगढ़	(2) पलोरा	(3) महेबा चक्र क्र. 3	(4) 2.800	(5) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) जतारा.	(6) करियापाठा तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—करियापाठा तालाब के नहर निर्माण हेतु ग्राम महेबा चक्र क्र. 3 की भूमि का भू-अर्जन.

भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्र. 460-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) टीकमगढ़	(2) पलेरा	(3) खरौं	(4) 117.900	(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा.	(6) करियापाठा तालाब योजना के डूब क्षेत्र, बांध हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—करियापाठा तालाब के डूब क्षेत्र बांध हेतु ग्राम खरौं की भूमि का भू-अर्जन भूमि का नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्र. 461-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) टीकमगढ़	(2) पलेरा	(3) भदरई	(4) 38.400	(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा.	(6) करियापाठा तालाब योजना के डूब क्षेत्र, बांध हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—करियापाठा तालाब के डूब क्षेत्र बांध हेतु ग्राम भदरई की भूमि का भू-अर्जन भूमि का नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्रकरण क्र. 462-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) टीकमगढ़	(2) पलेरा	(3) महेबा चक्र क्र. 2 ऊगढ़.	(4) 1.400	(5) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) जतारा.	(6) करियापाठा तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—करियापाठा तालाब के नहर के निर्माण हेतु ग्राम महेबा चक्र क्र. 2 ऊगढ़ की भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का (नक्शा) का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जतारा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अखिलेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 22 मार्च 2010

क्र. 158-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1) (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
					प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
इन्दौर	इन्दौर	जनकपुरा	0.070	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, इन्दौर।		नाबांड योजना के अंतर्गत ग्राम जनकपुरा तालाब की नहर निर्माण हेतु।
योग . .						0.070

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राकेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 11 मार्च 2010

क्र. 131-भू-अर्जन-10-प.क्र. 1-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—गोगाँवा
- (ग) ग्राम—शाहपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.805 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
54/1/1/3	0.405
54/1/1/1	0.182
54/1/1/2	0.113
54/3	0.024
54/4	0.081
योग . .	<u>0.805</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि कि आवश्यकता है—उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु) संभाग, इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 130-भू-अर्जन-10-प.क्र. 2-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—गोगाँवा
- (ग) ग्राम—बैजापुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.048 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
21/1	0.048
योग . .	<u>0.048</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि कि आवश्यकता है—उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु) संभाग, इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिणडौरी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिणडौरी, दिनांक 18 मार्च 2010

क्र. भू-अर्जन-2 (अ-82) 2008-09 ४०५.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत,

इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला- डिणडौरी
- (ख) तहसील—शहपुरा
- (ग) ग्राम—सरवाही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.50 हेक्टर.

(1)	(2)
961	0.13
962	0.55
964	0.55

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	
(1)	(2)	
368	0.40	
369	1.10	
	<u>योग . . 1.50</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— सरवाही जलाशय ग्राम सरवाही बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2 (अ-82) 2008-09-886.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिणडौरी
- (ख) तहसील—डिणडौरी
- (ग) ग्राम—खरगहना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—7.19 हेक्टर.

(1)	(2)
920	0.10
973	
996	0.05
997	0.11
972	0.31
1008	0.32
1009	0.53
1010	0.78
1014	0.65
1015	0.50
1016	0.15
1019	0.80
1026/1	0.05
1026/2	0.05
1026/3	0.05
1027	0.03
1029	0.45
1031/1	0.04
1031/2	0.02
1033	0.02
<u>योग . .</u>	<u>7.19</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— खरगहना जलाशय ग्राम खरगहना बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2 (अ-82) 2008-09-887.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिणडौरी
- (ख) तहसील—डिणडौरी
- (ग) ग्राम—करौदा ऐ.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
914	0.10
916	0.20
917	0.40
918	0.24

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.97 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
416/2	0.10
416/3	0.09
414	0.28
413	0.42
424	0.02
291	0.10
425/1	0.04
425/2	0.04
460	0.06
287	0.08
304/4	0.15
304/6	0.10
165/2	0.08
461/2	0.08
303/1	0.04
273/3	0.06
298/1	0.06
273/1	0.05
296	0.40
290	0.10
289	0.06
277	0.50
270/1	0.09
279	0.08
278	0.08
269	0.04
272	0.06
271	0.03
475	0.15
471	0.15
473	0.11
474	0.09
468	0.09
योग .	<u>3.97</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— करौदा जलाशय ग्राम करौदा रैयत नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-2 (अ-82) 2008-09-888.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—डिण्डौरी
- (ग) ग्राम—सक्का रै.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.452 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
93	0.074
94/1	0.028
94/2	0.073
105	0.185
106	0.329
198	0.162
199	0.168
209/2	0.072
211	0.181
224	0.114
231	0.066
योग .	<u>1.452</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बंजरटोला जलाशय ग्राम सक्का रैयत नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-2 (अ-82) 2008-09-889.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी

(ख)	तहसील—शहपुरा	(1)	(2)
(ग)	ग्राम—ददरगांव	110	0.24
(घ)	लगभग क्षेत्रफल—2.21 हेक्टर.	123	0.04
खसरा नम्बर	अर्जित रकबा		
	(हे. में)		
(1)	(2)		
244	0.10	78	0.12
247	0.20	54	0.15
256	0.55	79	0.14
257	0.65	77	0.08
258	0.55	8	0.12
269	0.08	76	0.09
260	0.08	7	0.09
योग . .	<u>2.21</u>	75	0.06

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— सरवाही जलाशय ग्राम ददरगांव बांध निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-2 (अ-82) 2008-09-890.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—डिण्डौरी
  - (ख) तहसील—डिण्डौरी
  - (ग) ग्राम—खम्हरिया रै.
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.12 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा
	(हे. में)
(1)	(2)
128	0.22
127	0.11
124	0.39
120	0.03
121	0.06
122	0.05

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—उदार जलाशय ग्राम खम्हरिया रैयत नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-2 (अ-82) 2008-09-891.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—डिण्डौरी

(ग) ग्राम—घोपतपुर मा.	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.41 हेक्टर.	352	0.307
खसरा नम्बर	अर्जित रकम	
	(हे. में)	
(1)	(2)	
168/1	0.17	400
168/2	0.17	365
169/2	0.14	401
169/1	0.03	366/2
168/3	0.17	423/3
170	0.09	367
178	0.14	380
190	0.66	381
180	0.08	422
181	0.20	368
183/2	0.12	465
188	0.20	374
189	1.03	375
191	0.33	376
192	0.28	377
	योग . . .	3.41

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—घोपतपुर जलाशय ग्राम घोपतपुर माल बांध निर्माण हेतु।  
 (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-2 (अ-82) 2008-09-892.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची		
(1) भूमि का वर्णन—	अर्जित रकम	
	(2)	(हे. में)
(क) जिला—डिण्डौरी	402	0.440
(ख) तहसील—डिण्डौरी	403	0.470
(ग) ग्राम—भगनवारा रैयत	404	1.513
(घ) लगभग क्षेत्रफल—28.957 हेक्टर.	423/1	0.100
खसरा नम्बर	400/487	0.920
(1)	423/2	0.200
351	423/4	0.400
	423/5	0.300
	424	1.160

(1)	(2)	(1)	(2)
425	0.498	50	0.84
460	0.047	67	0.24
464	0.449	69	0.32
470	0.700	72	2.32
466	0.793	166	2.08
469	0.550	80	0.51
472	0.474	124	0.48
493/1	0.080	127	0.72
493/2	0.811	128	1.20
473/3	0.300	136	0.58
योग . .	<u>28.957</u>	134	0.30
		135	0.34
		138	0.35
		योग . .	<u>14.93</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—भगनवारा जलाशय ग्राम भगनवारा रैयत बांध निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-2 (अ-82) 2008-09-893.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—डिण्डौरी
  - (ख) तहसील—डिण्डौरी
  - (ग) ग्राम—दूधीमझौली
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल—16.82 हेक्टेयर।

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
8	0.21
9	1.39
130	0.38
164	0.64
10	0.14
70	1.18
11	0.68
12	0.03.

शासकीय भूमि—	1.89
71,74,126,129,131,	
132,133,137, 165	
महायोग . .	<u>16.82</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिलघटी जलाशय ग्राम दूधीमझौली बांध निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-2 (अ-82) 2008-09-894.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—डिण्डौरी
  - (ख) तहसील—डिण्डौरी
  - (ग) ग्राम—किकरझर रै।
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल—11.77 हेक्टर।

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
5/1	0.28
6	1.20

(1)	(2)	(1)	(2)
6/1	0.32	249	0.15
7	0.40	251	0.05
7/1	0.72	244	0.09
10	0.40	245	0.01
11/2	0.12	274/1	0.22
13	0.80	285	0.09
11/3, 5	0.24	284	0.20
11/6	0.06	280	0.08
11/4	0.08	299	0.08
11/8	0.08	393	0.22
15	1.86	378/1	0.22
22	0.72	378/2	0.08
योग . .	7.28	298/3	0.04
ग्राम कोटवार	4.49	281/1	0.09
(सेवा भूमि) 3.00		योग . .	1.95
महा योग . .	11.77		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— सरई जलाशय ग्राम किकरझर रे. बांध निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-2 (अ-82) 2008-09-897.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—डिण्डौरी
- (ग) ग्राम—बिलाईखार मा.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.95 हेक्टर।

खसरा नम्बर

अर्जित रकमा

(हे. में)

(1)	(2)
337	0.10
336	0.05
254	0.10
253	0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— बिलाईखार जलाशय ग्राम बिलाईखार माल नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-2 (अ-82) 2008-09-898.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—डिण्डौरी
- (ग) ग्राम—भैसवाही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.306 हेक्टर।

खसरा नम्बर

अर्जित रकमा

(हे. में)

(1)	(2)
6	0.039
8	0.057
9	0.062
10	0.425
107	0.010

(1)	(2)	(ग) ग्राम—घोपतपुर रै. (घ) लगभग क्षेत्रफल—21.86 हेक्टर.
		खसरा नम्बर अर्जित रकम (हे. में)
		(1) (2)
109	0.046	
111	0.136	
112	0.199	
114	0.394	
116	0.013	
170	0.085	303 0.16
171	0.110	305/3 0.60
183	0.175	305/1 0.63
184	0.021	309 0.74
186	0.058	325/1 0.38
248/1, 248/2	0.090	327/1 0.70
124	0.090	305/2 0.60
192	0.270	306 0.95
195	0.197	308 0.62
217	0.009	310/1 0.97
220	0.080	310/2 0.54
226	0.121	310/3 0.49
227	0.024	310/4 0.49
228	0.081	311 0.29
229	0.072	312 1.03
230	0.058	313/2 0.72
114	0.109	320 6.00
117	0.060	324 0.48
118	0.055	321/2 0.49
119	0.032	325/2 0.38
163	0.128	332 0.48
योग . .	<u>3.306</u>	323/1 0.52
		323/2 0.50
		323/3 0.56
		325/3 0.38
		325/4 0.10
		325/5 0.38
		326 0.38
		योग . . <u>20.56</u>
		शासकीय भूमि 1.30
		307, 315
		महायोग . . <u>21.86</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—  
बंजरटोला जलाशय ग्राम भैसवाही नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-2 (अ-82) 2008-09-899.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—  
(क) जिला—डिण्डौरी  
(ख) तहसील—डिण्डौरी

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— घोपतपुर जलाशय ग्राम घोपतपुर रै. बांध निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. चंद्रसेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 19 मार्च 2010

क्र. भू-अर्जन-08-(अ-82)-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को  
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद  
(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित  
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन  
अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत,  
इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन  
के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला
- (ख) तहसील—मण्डला
- (ग) ग्राम—कक्नू, प.ह.नं. 81
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—29.17 हेक्टेयर.

#### खसरा नम्बर

(1)	रक्का (हे. में)	(2)
568	0.24	40
566	0.08	17
532	0.30	29
523	0.03	19
44	0.56	21
43	0.35	32
40	0.12	22
41	0.16	23
568	1.04	24
564/1	0.06	30
28	0.20	31
565/1	0.10	33
565/2	0.05	39
564/2	0.14	41
541	0.42	521
38	0.26	107
540	0.34	520
539	0.60	45
537	0.44	48
532	0.42	210
08	0.79	44
11	0.29	43

(1)	(2)
12	0.22
34	0.36
35	0.16
36	0.24
524	0.20
525	0.78
526	0.07
527/1	0.07
527/2	0.07
528	1.80
09	1.17
18	0.42
529	0.55
530	0.60
20	0.32
531	0.67
07	1.14
10	0.20
16	0.38
40	0.86
29	0.43
19	0.10
32	0.19
22	0.75
23	0.10
24	0.45
30	0.16
25	0.54
31	0.18
33	0.14
39	0.25
41	0.42
521	0.20
107	0.04
520	0.13
45	0.21
48	0.16
210	0.29
44	0.20
43	0.26
105	0.02
87	0.15

(1)	(2)
214	0.24
86	0.14
100/1	0.10
100/2	0.10
85	0.15
119	0.24
117	0.12
103	0.20
118	0.26
115	0.18
140	0.20
146	0.16
208	0.19
141/1	0.03
137	0.21
143	0.10
144	0.17
147	0.30
149	0.34
211	0.12
241	0.28
213	0.18
242	0.16
243	0.14
244	0.23
245	0.44
270	0.28
271	0.21
272	0.04
273	0.04
573	0.22
570	0.12
568	0.20
589	0.10
<b>योग . .</b>	<b>29.17</b>

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला
- (ख) तहसील—मण्डला
- (ग) ग्राम—सुरेहली, प.ह.नं. 71.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—12.77 हेक्टेयर.

#### खसरा नम्बर

#### रकबा

(हे. में)

#### (1)

#### (2)

227	0.18
228	0.18
231	0.34
219	0.24
209	0.27
220	0.04
214	0.17
219	0.52
208	0.63
215	0.40
333	0.22
213	0.14
212	0.10
205	0.16
216	0.52
218	0.98
217	0.79
315	0.10
318	0.08
314	0.22
309	0.42
321/1	0.38
321/2	0.24
331/2	0.32
331/1	0.32
331/3	0.32
355/1	0.12
355/2	0.12
306	0.23
309	0.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— कक्षन् जलाशय के अन्तर्गत बांध व नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-09-(अ-82)-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित

(1)	(2)	खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
399	0.21	(1)	(2)
304	0.16	58	0.20
396	0.04	59/1	0.36
400/1	0.29	62/1	0.12
406	0.04	62/4	0.34
1098	0.24	10	0.72
408	0.02	11/1	0.24
409	0.12	11/2	0.24
413	0.28	11/3	0.24
1103	0.28	11/4	0.24
1111	0.30	11/5	0.24
1253	0.03	12	0.12
1262	0.28	13	0.06
1263	0.12	58	0.60
1285	0.10	61	0.84
1269/1	0.13	59/1	0.72
1268	0.08	60	1.12
400/2	0.14	62/2	0.50
397/2	0.02	62/3	0.38
309	0.74	1	0.88
395	0.16	2	0.20
योग . .		12.77	1.20
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— सुरेहली जलाशय के अन्तर्गत बांध व नहर निर्माण हेतु।			
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है।			
क्र. भू-अर्जन-10-(अ-82)-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—			
अनुसूची			
(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—मण्डला			
(ख) तहसील—मण्डला			
(ग) ग्राम—खैरी रै. प.ह.नं. 48			
(घ) लगभग क्षेत्रफल—20.68 हेक्टर.			

(1)	(2)	(1)	(2)
353	0.08	390	0.12
352/1	0.04	363	0.26
357/1	0.02	358/517	0.04
352/2	0.04	356	0.12
349	0.02	354	0.26
348	0.15	355	0.03
355	0.06	353	0.16
357/2	0.02	367/1	0.18
358	0.03	342/1	0.16
100/2	0.20	242/2	0.14
98	0.20	438/1	1.74
87	0.08	438/5	0.38
58	0.12	434	0.30
54	0.36	433	0.14
53	0.28	436	0.20
योग . .	<u>20.68</u>	438/518	0.20
		392/540	0.84
		392/537	0.44
		392/1	1.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—चाबी जलाशय के अन्तर्गत बाध व नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-10-(अ-82)-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला
- (ख) तहसील—मण्डला
- (ग) ग्राम—सिलघिटी, प.ह.नं. 53
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—31.48 हेक्टर।

खसरा नम्बर                                   रकबा  
(हे. में)

(1)	(2)	(1)	(2)
438/1	0.36	474	0.24
438/4	0.04	470	0.78
392/1	0.16	472	0.20
388	0.16	471	0.22
389	0.25	427	1.84
		425	0.30

(1)	(2)	(1)	(2)
394	0.52	314/4	0.03
424	0.12	314/5	0.07
426	0.29	312/3	0.03
399	0.06	312/2	0.17
398	0.32	312/1	0.17
397	0.88	308	0.16
393	0.14	307	0.02
395	0.51	342/3	0.27
364	0.10	339	0.32
369	0.17	326/527/1	0.18
392/1	0.23	326/527/2	0.18
535/1		योग . .	<u>31.48</u>
392/1	0.21		
539/2		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिलघिटी जलाशय के अन्तर्गत बांध व नहर निर्माण हेतु.	
392/1	0.12		
535/2		(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.	
392/1	0.12		
535/3		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. खेरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	
392/2	0.18		
392/1	0.44		
539/1			
384/1	0.10	कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	
384/2	0.06		
384/4	0.06		
384/3	0.06		
363	2.74	कटनी, दिनांक 22 मार्च 2010	
390	0.98		
375/4	0.04		
367/1	1.01	प्र. क्र. 18-अ-82-2008-09-संशोधन-भू-अर्जन प्रकरण क्र. 18-अ-82-2008-09.—ग्राम सहसपुरा, प.ह.नं. 36, ब. नं. 375,	
367/2	0.40	तहसील कटनी, जिला कटनी में बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर की सहसपुरा माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की जारी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 7 अगस्त 09, पृष्ठ 1937 में ख. नं. 50 का रकबा 0.23 है. एवं ख. नं. 51 का रकबा 0.10 है. सहित कुल रकबा 4.27 है. अर्जन हेतु प्रकाशित किया गया है.	
342/1	0.23		
342/2	0.25		
353	0.19		
345/1	0.24	उक्त प्रकाशन में आंशिक सुधार सहित अद्यतन अर्जन हेतु ख.नं. 51 नहर अर्जन से बाहर एवं विलोपित होकर ख. नं. 50 का रकबा 0.33 है. कुल रकबा 4.27 है. अर्जन हेतु पढ़ा व माना जावे.	
344	0.12		
335	0.16		
326/521	0.12	(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिए आवश्यकता है.—बरगी व्यपवर्तन की भैंसवाही वितरण एवं सहसपुरा माइनर नहर निर्माण हेतु.	
309	0.17		
326/522	0.12		
326/524	0.15		
318	0.37		
326/5	0.05		
315	0.25		
314/6	0.07		

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपर्वतन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. सेलवेन्नन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 23 मार्च 2010

क्र. 878-भू-अर्जन-2010 रा.प्र.क्र.—चूंकि, राज्य शासन को  
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद  
(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित  
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन  
अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत,  
इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन  
के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
- (ख) तहसील—मेघनगर
- (ग) ग्राम—चैनपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.65 हेक्टर।

सर्वे नम्बर	रक्कम (हेक्टर में)
(1)	(2)
222/1	0.04
220	0.18
182	0.06
183	0.02
215	0.10
191	0.06
194	0.10
201/2	0.14
201/3	0.05
141	0.18
142	0.46
140	0.26
योग निजी भूमि . .	1.65

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बजरंगसागर तालाब के नहर निर्माण हेतु ग्राम चैनपुरा का कुल निजी रक्कम 1.65 है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) थांदला के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 879-भू-अर्जन-2010 रा.प्र.क्र.—चूंकि, राज्य शासन को  
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद  
(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित  
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन  
अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत,  
इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन  
के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
- (ख) तहसील—मेघनगर
- (ग) ग्राम—गोपालपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.68 हेक्टर।

सर्वे नम्बर	रक्कम (हेक्टर में)
(1)	(2)
89/3	0.06
89/2	0.14
106/3/3	0.10
44/1	0.18
45/2	0.10
287/1	0.10
योग निजी भूमि . .	0.68

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बजरंगसागर तालाब के नहर निर्माण हेतु ग्राम गोपालपुरा का कुल निजी रक्कम 0.68 हेक्टर।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) थांदला के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जगदीश शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन	(1)	(2)	(3)		
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	1629	0.300	निजी भूमि		
पन्ना, दिनांक 26 फरवरी / 23 मार्च 2010	1628	0.022	निजी भूमि		
प्र. क्र. 11-अ-82—वर्ष 2006-2007.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—	2561	0.005			
अनुसूची	2562	0.132	निजी भूमि		
(1) भूमि का वर्णन—	2560/1	0.017	निजी भूमि		
(क) जिला—पन्ना	1395	0.061	निजी भूमि		
(ख) तहसील—परवई	275	0.042	निजी भूमि		
(ग) ग्राम—मुडवारी	1105	0.013	निजी भूमि		
(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.918 हेक्टर.	1106/2	0.132	निजी भूमि		
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकमा	भूमि का	निजी भूमि		
	(हेक्टेयर में)	प्रकार	निजी भूमि		
(1)	(2)	(3)	निजी भूमि		
2623	0.015	निजी भूमि	304/2	0.132	निजी भूमि
2624	0.182	निजी भूमि	2576	0.015	निजी भूमि
339	0.182	निजी भूमि	2577	0.282	निजी भूमि
536	0.237	निजी भूमि	331	0.024	निजी भूमि
1078	0.046	निजी भूमि	332	0.067	निजी भूमि
1079	0.406	निजी भूमि	538/2	0.017	निजी भूमि
746	0.192	निजी भूमि	1176	0.002	निजी भूमि
1597/1	0.010	निजी भूमि	1202	0.244	निजी भूमि
1598/1	0.239	निजी भूमि	1205	0.030	निजी भूमि
1599/1	0.040	निजी भूमि	1212	0.060	निजी भूमि
698	0.020	निजी भूमि	1609	0.022	निजी भूमि
1133	0.069	निजी भूमि	1610	0.250	निजी भूमि
1134	0.002	निजी भूमि	683/1	0.070	निजी भूमि
1630	0.015	निजी भूमि	680	0.005	निजी भूमि
1631	0.040	निजी भूमि	683/3	0.082	निजी भूमि
2530	0.117	निजी भूमि	683/4	0.110	निजी भूमि
296	0.240	निजी भूमि	684	0.057	निजी भूमि
297	0.004	निजी भूमि	274	0.112	निजी भूमि
305	0.022	निजी भूमि	1412/1क	0.122	निजी भूमि
306	0.280	निजी भूमि	1412/1ख	0.040	निजी भूमि
1142	0.082	निजी भूमि	1038/1	0.016	निजी भूमि
			1039/1	0.032	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
747	0.032	निजी भूमि	1396	0.032	निजी भूमि
748	0.015	निजी भूमि	1199	0.062	निजी भूमि
2568/1	0.152	निजी भूमि	1187	0.016	निजी भूमि
2568/2	0.022	निजी भूमि	1600	0.364	निजी भूमि
2524	0.015	निजी भूमि	689	0.140	निजी भूमि
2569	0.122	निजी भूमि	690	0.010	निजी भूमि
1384/2	0.024	निजी भूमि	691	0.042	निजी भूमि
1387	0.032	निजी भूमि	863/1	0.080	निजी भूमि
534	0.052	निजी भूमि	1035	0.038	निजी भूमि
535	0.069	निजी भूमि	1036	0.025	निजी भूमि
1201	0.140	निजी भूमि	1037	0.035	निजी भूमि
1177	0.020	निजी भूमि	2523/1	0.152	निजी भूमि
1178	0.014	निजी भूमि	769	0.005	निजी भूमि
1198	0.020	निजी भूमि	770	0.027	निजी भूमि
1145	0.090	निजी भूमि	2531	0.015	निजी भूमि
2525/1	0.070	निजी भूमि	622	0.042	निजी भूमि
865/1	0.017	निजी भूमि	295	0.024	निजी भूमि
1138	0.070	निजी भूमि	882	0.052	निजी भूमि
1139	0.002	निजी भूमि	268	0.112	निजी भूमि
1143	0.034	निजी भूमि	269	0.035	निजी भूमि
1144	0.014	निजी भूमि	1045	0.250	निजी भूमि
749/2	0.102	निजी भूमि	1046	0.032	निजी भूमि
749/3	0.052	निजी भूमि	545/2	0.027	निजी भूमि
749/4	0.102	निजी भूमि	546/2	0.070	निजी भूमि
2522/2	0.025	निजी भूमि	546/1	0.055	निजी भूमि
2523/2	0.200	निजी भूमि	2615	0.150	निजी भूमि
2525/2	0.082	निजी भूमि	2619	0.037	निजी भूमि
2626	0.028	निजी भूमि	1220/1	0.334	निजी भूमि
2627/2	0.052	निजी भूमि	1220/2	0.040	निजी भूमि
2628/2	0.005	निजी भूमि	1103	0.015	निजी भूमि
1383	0.032	निजी भूमि	1101	0.004	निजी भूमि
1384/1	0.078	निजी भूमि	1102	0.174	निजी भूमि
2532	0.150	निजी भूमि	1043	0.010	निजी भूमि
963	0.016	निजी भूमि	1044	0.005	निजी भूमि
964	0.003	निजी भूमि	1024	0.022	निजी भूमि
1013	0.005	निजी भूमि	1025	0.065	निजी भूमि
1406	0.150	निजी भूमि	1398	0.040	निजी भूमि
1408	0.062	निजी भूमि	529	0.059	निजी भूमि
1382	0.090	निजी भूमि	530	0.190	निजी भूमि
1403	0.030	निजी भूमि	531	0.044	निजी भूमि
1405	0.132	निजी भूमि	619	0.005	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
620	0.180	निजी भूमि	879	0.030	निजी भूमि
621	0.081	निजी भूमि	1221	0.170	निजी भूमि
880	0.040	निजी भूमि	1223	0.040	निजी भूमि
870/1	0.070	निजी भूमि	276/1	0.032	निजी भूमि
881	0.015	निजी भूमि	337	0.017	निजी भूमि
983/1	0.065	निजी भूमि	2526	0.055	निजी भूमि
1015	0.015	निजी भूमि	674	0.017	निजी भूमि
1016	0.155	निजी भूमि	1189	0.082	निजी भूमि
983/3	0.065	निजी भूमि	1611	0.010	निजी भूमि
1017/2	0.005	निजी भूमि	1612	0.005	निजी भूमि
983/4	0.065	निजी भूमि	1627/2	0.010	निजी भूमि
983/2	0.065	निजी भूमि	750	0.030	निजी भूमि
333	0.005	निजी भूमि	751	0.018	निजी भूमि
334	0.180	निजी भूमि	624	0.042	निजी भूमि
335	0.040	निजी भूमि	528	0.070	निजी भूमि
270	0.062	निजी भूमि	532	0.067	निजी भूमि
255	0.180	निजी भूमि	276/2	0.110	निजी भूमि
256	0.054	निजी भूमि	कुल रकबा निजी भूमि	14.918	
264	0.065	निजी भूमि	537	0.015	शासकीय भूमि
1022	0.044	निजी भूमि	2533	0.025	शासकीय भूमि
1023	0.170	निजी भूमि	1385	0.010	शासकीय भूमि
2566	0.015	निजी भूमि	1394	0.040	शासकीय भूमि
1602	0.010	निजी भूमि	1399	0.020	शासकीय भूमि
265	0.074	निजी भूमि	1400	0.030	शासकीय भूमि
266	0.055	निजी भूमि	1379	0.020	शासकीय भूमि
259	0.062	निजी भूमि	1596	0.075	शासकीय भूमि
864/2	0.052	निजी भूमि	1227	0.370	शासकीय भूमि
865/2	0.017	निजी भूमि	1224/1	0.250	शासकीय भूमि
991	0.035	निजी भूमि	1195	0.005	शासकीय भूमि
2581/1	0.130	निजी भूमि	1196	0.020	शासकीय भूमि
2581/2	0.050	निजी भूमि	कुल रकबा शासकीय भूमि	0.880	
1034/1	0.015	निजी भूमि	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है— मुडवारी उद्वहन सिंचाई योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य हेतु।		
696	0.032	निजी भूमि	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय पन्ना में किया जा सकता है।		
697	0.667	निजी भूमि	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,		
763	0.027	निजी भूमि			
764/1	0.210	निजी भूमि			
764/2	0.164	निजी भूमि			
762	0.090	निजी भूमि			
877/2	0.017	निजी भूमि			

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 30 मार्च 2010

क्र. 3611-दस-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये कम्पनी प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सूची सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन का यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध एवं भू-अर्जन (कम्पनियां) नियम, 1963 तथा कम्पनी प्रयोजन के लिये भू-अर्जन से संबंधित अन्य नियम एवं प्रक्रिया उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

## अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	धारा (4) की उपधारा (2)	कम्पनी प्रयोजन
(1)	(2)	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	का वर्णन
अनूपपुर	अनूपपुर	कोलमी	221.826	न्यू जोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
		प.ह.नं. 36.		आकाश नीम मार्ग, गुडगांव-122001 1320 मेगावाट थर्मल पावर
		रक्सा	254.962	प्रोजेक्ट की स्थापना।
		प.ह.नं. 37.		
		कुल योग . .	<u>476.788</u>	

ख. नं. अर्जित किए  
जाने वाला  
रक्बा (हे. में.)

## ग्राम—कोलमी

504	0.405
509/1/क	1.507
509/1/ख	0.405
509/2	1.505
509/2/क	0.405
518/1	0.034
518/2	0.050
518/3	0.050
519	0.202
553	0.061
554	1.028
563/1	0.177
563/2	0.081
563/3	0.128
563/4	0.129
572	0.530

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		573/1	0.247		
		573/2/क/1	0.002		
		573/2/क/2	0.121		
		573/2/ख	0.122		
		575	0.069		
		582	1.003		
		587/1	0.202		
		587/2	0.639		
		611	0.425		
		614	0.441		
		617	0.510		
		618	0.745		
		619	0.632		
		628	0.295		
		629	0.174		
		632/1	0.142		
		632/2	0.121		
		632/3	0.119		
		632/4	0.102		
		632/5	0.119		
		712	0.361		
		713/1	0.526		
		713/2	0.526		
		716	0.837		
		718	0.607		
		721	0.716		
		722/1	0.028		
		722/2	0.029		
		722/3	0.028		
		722/4	0.028		
		723	0.259		
		735	0.320		
		737/1/क	0.306		
		737/1/ख	0.365		
		737/1/ग	0.132		
		737/1/घ	0.318		
		737/1/ड	0.340		
		737/2	0.890		
		737/3/क	0.212		
		737/3/ख	0.221		
		737/4/क	0.053		
		737/4/ख	0.048		
		737/5	0.192		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	737/6		0.505		
	737/7		0.089		
	737/8		0.106		
	737/9		0.324		
	737/10		0.133		
	737/11		0.110		
	737/12/क		0.509		
	737/12/ख		0.509		
	737/13		0.502		
	737/14		0.433		
	737/15		0.140		
	737/16		0.300		
	737/17/क		0.170		
	737/17/ख		0.170		
	737/18		0.110		
	737/19		0.140		
	737/20		0.120		
	737/21/क		0.038		
	737/21/ख		0.039		
	737/22		0.296		
	737/23/क		0.075		
	737/23/ख		0.166		
	737/24		0.509		
	738/1		0.223		
	738/2		0.223		
	742/1		0.198		
	742/2		0.198		
	742/3		0.198		
	742/4		0.315		
	742/5		0.068		
	742/6		0.068		
	742/7		0.068		
	1000		0.809		
	1001		3.605		
	1006		0.837		
	1008		0.271		
	1009		1.291		
	1016/1		0.202		
	1016/2		0.202		
	1019/1		0.404		
	1019/2		0.405		
	1020		0.713		
	1021		1.914		
	1022/1		0.442		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1022/2	0.885		
		1022/3	0.442		
		1026/1/क	0.273		
		1026/1/ख	0.274		
		1026/2	0.127		
		1030/1/क	0.060		
		1030/1/ख	0.060		
		1030/1/ग	0.060		
		1030/1/घ	0.060		
		1030/2/क	0.115		
		1030/2/ख	0.115		
		1031	0.405		
		1035/1	1.042		
		1035/2	0.520		
		1036/1	2.245		
		1036/1/क	0.809		
		1036/1/ख	0.809		
		1036/2/क	2.023		
		1036/2/ख	0.140		
		1036/2/ग	0.140		
		1036/2/घ	0.140		
		1036/2/ड	0.140		
		1036/3	2.023		
		1036/4	1.214		
		1037	0.930		
		1041	0.061		
		1042/1/क	0.105		
		1042/1/ख	0.052		
		1042/2	0.106		
		1042/3	0.105		
		1042/4	0.105		
		1045	1.858		
		1047	1.789		
		1069/1	5.891		
		1069/2	0.910		
		1069/3	0.950		
		1070/1	2.051		
		1070/2	0.930		
		993	0.854		
		637	0.324		

(1)	(2)	(3)*	(4)	(5)	(6)
		505	2.509		
		1077/1	0.625		
		1077/2	0.156		
		501	2.063		
		507/1	7.480		
		507/2	0.809		
		508/1/क	1.805		
		508/1/ख	0.388		
		508/2	0.405		
		510	0.486		
		511	0.445		
		512	0.809		
		513	1.724		
		514/1	0.531		
		514/2/क	0.097		
		514/2/ख	0.097		
		514/3	0.425		
		514/4	0.061		
		514/5	0.060		
		514/6	0.352		
		514/8	0.320		
		515	0.287		
		516	0.117		
		517	7.948		
		545/1	0.313		
		545/2	0.104		
		546/1	0.089		
		546/2/क	0.028		
		546/2/ख	0.029		
		546/3	0.077		
		547	0.963		
		548/1	0.182		
		548/2	0.065		
		549	0.202		
		550	0.749		
		551	0.251		
		552	0.583		
		555	0.757		
		556/1	0.790		
		556/2	0.040		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		556/3/क	0.072		
		556/3/ख	0.073		
		556/4	0.109		
		556/5	0.218		
		556/6/क	0.119		
		556/6/ख	0.119		
		556/7	0.048		
		556/8	0.072		
		556/9	0.344		
		556/10	0.145		
		556/11	0.393		
		556/12	0.266		
		557	1.740		
		558	0.085		
		559	0.069		
		560	0.129		
		561	0.283		
		562	0.077		
		564	0.595		
		566	0.255		
		567	0.967		
		568	0.344		
		569/1	0.514		
		569/2/क	0.069		
		569/2/ख	0.069		
		570/1	0.172		
		570/2	0.200		
		571	0.866		
		574/1	0.098		
		574/2	0.036		
		576	0.073		
		577	0.445		
		578/1	0.050		
		578/2	0.067		
		579/1	0.032		
		579/2	0.195		
		580/1	0.300		
		580/2	0.287		
		581/1/क	0.108		
		581/1/ख/1	0.474		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		581/1/ख/2	0.463		
		581/1/ग	0.162		
		581/2	0.242		
		583	0.315		
		584	0.170		
		585	0.206		
		586	0.223		
		588/1	0.756		
		588/2	0.592		
		589	0.097		
		590	0.158		
		591/1	0.160		
		591/2	0.200		
		592	0.097		
		593	0.113		
		594	0.352		
		595	0.134		
		596	0.125		
		597	0.138		
		598	0.146		
		599	0.097		
		600	0.721		
		601	0.077		
		602	0.089		
		603	0.045		
		604	0.267		
		605	0.425		
		606	0.008		
		607/1	0.040		
		607/2	0.049		
		608	0.186		
		609	0.113		
		610	0.178		
		612	0.364		
		613/1	0.102		
		613/2	0.400		
		615/1	0.080		
		615/2	0.216		
		615/3	0.137		
		616	0.275		
		620/1	0.995		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		620/2	0.405		
		621	0.162		
		622	0.223		
		623/1	0.086		
		623/2	0.100		
		624	0.085		
		625	0.040		
		626	0.283		
		627	0.388		
		630	0.134		
		631/1	0.125		
		631/2	0.049		
		663/1	0.516		
		663/1/क	1.214		
		663/1/ख	1.717		
		663/1/ग	1.227		
		663/1/घ/1	0.061		
		663/1/घ/2	0.172		
		663/1/घ/3	0.172		
		663/1/ङ/1	0.202		
		663/1/ङ/2	0.202		
		663/1/ङ/3	0.202		
		663/1/ङ/4	0.203		
		663/2	0.566		
		700	0.271		
		705	0.202		
		708	1.113		
		709	0.105		
		710	0.425		
		711/1	0.105		
		711/2	0.801		
		715/1/क	0.262		
		715/1/ख	0.733		
		715/2	0.320		
		715/3	0.085		
		715/5	0.145		
		715/8	0.040		
		715/10	0.161		
		715/11	0.162		
		717	0.753		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		719/1	0.047		
		719/2	0.095		
		719/3	0.171		
		719/4	0.080		
		719/5	0.477		
		719/6	0.783		
		719/7	0.443		
		720	0.405		
		724	1.153		
		725	0.158		
		726	0.162		
		727	0.287		
		728/1	0.128		
		728/2	0.200		
		729	0.206		
		730	0.539		
		731/1	0.123		
		731/2	0.043		
		732	0.239		
		733	0.425		
		734	0.725		
		736	0.934		
		1002/1	0.279		
		1002/2	1.011		
		1005	4.921		
		1007	1.870		
		1010/1	0.607		
		1010/2	0.379		
		1010/3	0.228		
		1011/1/क	0.074		
		1011/1/ख	0.075		
		1011/2	0.627		
		1011/3	0.817		
		1011/4	0.798		
		1012	0.494		
		1013	1.141		
		1014/1	0.554		
		1014/2	1.146		
		1014/3	0.592		
		1017	0.219		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1018	0.324		
		1023/1	0.607		
		1023/2	0.607		
		1024/1	0.223		
		1024/2	0.405		
		1025/1	1.323		
		1025/2	0.442		
		1027	0.441		
		1028/1	0.186		
		1028/2	0.024		
		1028/3	0.222		
		1028/4	0.393		
		1029/2	1.226		
		1032	0.405		
		1033	0.591		
		1034	0.652		
		1038	0.603		
		1039	0.559		
		1040	0.243		
		1043/1	0.263		
		1043/2	0.413		
		1043/3	0.206		
		1043/4	0.251		
		1044/1/क	0.445		
		1044/1/ख	0.202		
		1044/2/क	0.303		
		1044/2/ख	0.304		
		1044/2/ग	0.303		
		1044/2/घ	0.304		
		1044/3	0.607		
		1044/4	0.607		
		1044/5	0.812		
		1046/1	0.631		
		1046/1/क	0.243		
		1046/2	0.405		
		1046/3	0.233		
		1046/4	0.233		
		1048/1	0.303		
		1048/2	0.633		
		1050	0.368		
		1051	1.615		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1052/1	0.202		
		1052/2	0.555		
		1053	4.280		
		1054/1	0.605		
		1054/2	0.018		
		1054/3	0.018		
		1055/1/क	0.091		
		1055/1/ख	0.091		
		1055/2	0.263		
		1055/3	0.340		
		1055/4	0.105		
		1055/5	0.287		
		1055/6	0.243		
		1055/7	0.733		
		1055/8	0.223		
		1055/9	0.433		
		1055/10	0.340		
		1055/11	0.256		
		1055/12	0.595		
		1055/13	0.384		
		1055/14	0.454		
		1055/15	0.607		
		1055/16/क/1	0.204		
		1055/16/ख	0.101		
		1055/16/क/2	0.032		
		1055/17/क	0.145		
		1055/17/ख	0.037		
		1055/18	0.308		
		1055/19	0.073		
		1055/20	0.073		
		1055/21	0.073		
		1056	0.243		
		1057/1	0.324		
		1057/2	0.526		
		1058	2.683		
		1059	9.304		
		1060	0.113		
		1061	0.607		
		1062/1/क	0.752		
		1062/1/ख	0.291		
		1062/2	0.621		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1062/3/क	0.337		
		1062/3/ख	0.338		
		1062/4	1.513		
		1063/1	2.890		
		1063/2	0.809		
		1064	0.547		
		1065/1	0.567		
		1065/2	0.093		
		1066	0.753		
		1067	0.789		
		1068	0.368		
		1071/1/क	0.328		
		1071/1/ख	0.192		
		1071/2	0.130		
		1071/3	0.139		
		1072/1	0.356		
		1072/2	0.389		
		1073	0.615		
		999/1/क	0.165		
		999/1/ख	0.065		
		999/1/ग	0.107		
		999/2	0.337		
		999/3	0.343		
		631/1	0.113		
		636/2	0.146		
		383/1	1.966		
		383/2	1.730		
		383/3	1.254		
		383/4	0.161		
		482/1	2.096		
		482/2	0.202		
		1075/1	0.272		
		1075/2	0.133		
		1078	0.841		
		1079/1	0.453		
		1079/2	0.761		
		1080	1.619		
		1082/1	0.971		
		1032/2	0.405		

योग : 221.826

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

**ग्राम—रक्सा**

340/1	0.809
236	1.748
302/1	0.385
188	0.725
272	0.490
304/2	0.206
310/1ख	0.115
313/1ख	0.180
310/1क	0.116
313/1क	0.217
488/1	0.486
489/1	0.378
222	0.235
181/2	2.023
324/2	0.243
310/2	0.231
313/2	0.455
482/1	0.336
168	0.138
304/1	0.716
165	0.119
229	0.101
141/1	0.061
282/2	0.113
287/2	3.640
301/2	0.331
338/2	0.323
242/2	0.096
499/1क	0.768
499/1ख	0.809
181/1	1.611
187/1	4.313
232	2.553
237	1.113
331/1क	0.944
513	1.546
340/2	0.342
328/1	0.186
331/2	0.336
134/1क/2	0.648

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
238	0.275				
141/2	0.222				
145	0.870				
143	0.077				
144	0.073				
147	0.261				
153	0.394				
507	0.429				
134/1ख	0.161				
138/1ख	0.162				
138/2	0.141				
139/2ख	0.121				
134/2	0.405				
312	0.061				
139/1क	0.441				
139/1ग	0.182				
302/3	0.222				
314/1ख	0.421				
139/1ख/2	0.317				
331/1ख	0.161				
314/1क	0.152				
169	0.077				
302/2	0.165				
328	0.263				
139/1ख	1.291				
146	0.405				
320	0.478				
134/1क	0.182				
509/2	0.178				
503	0.210				
139/1क/2	0.607				
488/2	0.485				
489/2	0.379				
287/1ग	0.323				
287/1ड	0.040				
287/1आ	0.162				
287/1ड	0.121				
287/1त	0.081				
287/1द	0.061				
287/1थ	0.061				
287/1स	0.081				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		287/1ल	0.121		
		287/1श	0.121		
		287/1क्ष	0.162		
		338/1ख	0.112		
		342/1क	0.049		
		509/1	0.178		
		142	0.498		
		149	0.081		
		155	0.737		
		308	0.372		
		506	0.364		
		333	1.117		
		523	0.295		
		282/1	0.109		
		287/1क	0.101		
		287/1घ	0.040		
		287/1छ	0.081		
		287/1झ	0.399		
		287/1ट	0.081		
		287/1थ	0.081		
		287/1न	0.061		
		287/1प	0.061		
		287/1भ	0.061		
		287/1ष	0.121		
		287/1फ	0.061		
		301/1ख	0.164		
		499/2	0.363		
		287/1ख	0.101		
		287/1च	0.040		
		287/1ज	0.081		
		287/1ठ	0.081		
		287/1ठ	0.121		
		287/1ण	0.162		
		287/1छ	0.016		
		287/1ब	0.061		
		287/1य	0.081		
		287/1र	0.081		
		287/1व	0.129		
		287/1स	0.081		
		301/1क	0.164		
		338/1क	0.112		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	499/1क		0.161		
	167/1		1.796		
	259/1		0.509		
	292/1		0.558		
	294/1		0.390		
	311/1		0.431		
	314/2		0.133		
	305		0.737		
	151		1.291		
	336		1.100		
	167/2		1.796		
	259/2		0.509		
	292/2		0.559		
	294/2		0.391		
	311/2		0.431		
	314/3		0.133		
	241		0.243		
	303/2		0.129		
	280		2.537		
	287/3		3.646		
	301/3		0.331		
	338/3		0.335		
	133		3.941		
	136		0.518		
	312		0.336		
	319		0.506		
	520		0.255		
	139/2क/1		0.644		
	156		0.312		
	339		0.441		
	479		0.737		
	159		1.226		
	220		0.154		
	330		0.340		
	332		0.113		
	525		0.320		
	498		2.132		
	530		1.011		
	531/1		0.089		
	531/2		1.089		
	535		0.202		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	390		0.291		
	473/1		0.170		
	473/2		0.162		
	478/1		0.388		
	478/2		1.000		
	478/3		1.388		
	478/4		1.388		
	483		0.845		
	318		0.506		
	341/1क		0.537		
	341/1ख		0.413		
	341/2		0.061		
	344		0.401		
	346/1		0.768		
	346/2		0.304		
	352		0.320		
	163		0.405		
	277		1.457		
	499/1क/1ख		0.623		
	166		0.559		
	510/3		0.324		
	490		0.182		
	288/1ख		0.226		
	515/2		0.272		
	263/2ग		0.151		
	307/2ख		0.716		
	137		0.040		
	138/1क		0.469		
	164		0.178		
	221		0.251		
	296		0.478		
	298/2		0.810		
	141/3		0.222		
	511		0.405		
	250		1.732		
	291/1		0.798		
	271		0.809		
	502		0.376		
	504		0.401		
	170/1		0.421		
	325		0.251		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	158		1.161		
	521		0.247		
	227		1.684		
	323/2		0.138		
	263/2घ		0.157		
	307/2ग		0.716		
	278		0.793		
	225/2		0.809		
	254/1		0.214		
	148		1.096		
	512/2		0.154		
	281		0.202		
	284		0.405		
	231		0.717		
	223/3		0.110		
	240		0.543		
	245		0.526		
	324/1		0.223		
	307/3ख		0.494		
	285		0.809		
	140		0.121		
	162		0.405		
	263/2ख		0.152		
	246/1ख		0.624		
	135		0.077		
	190		0.081		
	180		0.725		
	326		1.283		
	494		1.163		
	262		1.785		
	270		1.586		
	335		0.887		
	512/1		1.351		
	157/1		2.878		
	268/1		0.591		
	273/1		3.362		
	265		4.035		
	319		0.926		
	495		0.506		
	497		2.650		
	510/1		3.234		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		524	0.304		
		170/2	0.825		
		510/2	0.274		
		329	0.829		
		227/2	0.506		
		291/3	0.405		
		508	1.044		
		518/1ख	0.039		
		515/1क	0.095		
		223/1	0.405		
		263/1	0.607		
		303/1	0.809		
		307/1	0.494		
		493	3.865		
		276	0.721		
		224	0.551		
		235	1.906		
		254/2	1.335		
		323/1	0.085		
		157/2	0.607		
		268/2	0.405		
		273/2	0.809		
		225/1	0.453		
		283/1	0.497		
		288/1क	1.581		
		297/1	0.627		
		263/2क	0.153		
		307/2क	1.432		
		516	0.206		
		256	0.421		
		257	0.632		
		288/2	0.243		
		289	1.287		
		291	0.485		
		298/1	1.816		
		321	0.271		
		307/3क	1.914		
		293	1.550		
		295	0.717		
		274	0.202		
		246/1क	1.250		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	183		0.498		
	267		1.562		
	519		0.028		
	515/1क/3		0.094		
	518/1ग		0.040		
	316		0.393		
	233		8.878		
	283/2		0.498		
	288/1क/2		2.318		
	297/2		0.627		
	337		1.842		
	501		0.474		
	228		0.421		
	234		1.428		
	249		3.141		
	182		0.559		
	184		1.108		
	226		6.495		
	255		1.971		
	266		6.629		
	317		0.275		
	500		2.800		
	515/1क		0.095		
	518/1क		0.039		
	306		0.283		
	309		2.748		
	517		0.243		
	154		0.757		
	185		0.721		
	242		0.069		
	261		1.449		
	186		0.198		
	186		0.263		
	189		0.514		
	230		1.189		
	247		0.793		
	257		1.068		
	253		0.409		
	514		0.368		
	286		1.522		
	300		2.088		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	269		0.154		
	275		3.699		
	315		0.567		
	327		0.781		
	480		0.397		
	505		0.543		
	526		0.356		
	527		0.506		
	529		3.941		
	532		1.376		
	538		1.513		
	534		1.736		
	562		0.198		
	353		0.279		
	354/1		0.093		
	354/2		0.178		
	355		0.308		
	356		1.123		
	474		0.405		
	475		0.138		
	477		0.527		
	481		2.456		
	150		2.481		
	160		0.433		
	161		0.926		
	239		0.271		
	243		0.231		
	251		1.068		
	322		0.470		
	334		0.182		
	343		0.247		
	345		0.729		
	347		2.306		
	350		0.793		
	351		0.263		
	<u>योग : 254.962</u>				
	<u>महायोग : 476.788</u>				

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म.प्र.) के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.